न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) राजस्थान

बनाम शिम्भूराम बनाम सरकार 3/3 ..... मुकदमा नं० .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	17/6/19 वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है। न्यायालय गत आदेश की पालना में दिनांक 13/6/19 को पेश हो।	
13/6/19	वकील पार्टी उपस्थित। अभियोगी अपराधिक तारीख अनुपस्थित। वकील पार्टी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बाद बहस वकील पार्टी से स्पष्ट किया गया कि पार्टी को अपनी उक्त विवादित आराजी की जोत कास्त परेशान करवाई। इसी लिए पार्टी अपनी आराजी खाते से अलग गढ़ी कराना चाहते हैं। पार्टी ने कुछ ने भी बाद तकसीम यातायात अपनी सत्ता आराजी की प्रमाणित दिनांक 13/8/18 को करवाई है। आवेदक उक्त प्रमाणित को नहीं मानता है। आवेदक प्रमाणित को अमान्य किया है। प्रमाणित खिलाफ को अमान्य किया है। पार्टी वकील उक्त का पट्टा का पक्ष गढ़ी स्वीकार करने का निवेदन किया गया। पट्टा का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के उपलब्ध रकबा किताब जमाबन्दी सम्वत 2069-2072 के खाता संख्या 68 का अवलोकन किया गया जिसमें अवलोकन से पार्टी सत विवादित आराजी का सह काश्तकार दर्ज किया है। बाद अवलोकन पार्टी का पट्टा बोला पाया गया। लोग पाया जाता है। उक्त पट्टा 1982.R बोला पाया गया स्वीकार किया जाता है। भू-अभिलेख थानागाजी को पत्र की पालना हेतु पत्र जारी हो। रिकार्ड फसल सुधार होना सम्भव है कि जाकर बाद तकसील या मिसल रखता है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)